concessions have been given by the State Government of Andhra Pradesh. This is for Brahmani Steel. Concessions which the State Government has given to it include 25 per cent of VAT for five years; reimbursement of power charges to the tune of 75 per cent at the rate of 75 paisa per unit for five years; 100 per cent waiver for registration and mortgage fee; and they have allocated Rs. one crore for the development of infrastructural facilities at the plant site.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Sir, the basic issue is tax evasion. This Obulapuram Mining Corporation is exporting iron ore to China by under-invoicing and whatever the differential amount is there, they are parking it in tax haven state. I request the Minister, through you, to investigate into this matter through the IT Department and the Vigilance Department. It is a clear violation of FEMA.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, all violations of FEMA and over-invoicing or under-invoicing are offences under Customs Act and due action should be taken.

श्री आर0सी0 सिंह : सर, हमारे देश में ऑयरन ओर लिमिटेड है और हमारे यहां जो स्टील फैक्ट्रीज हैं, उनमें खपत 78 मिलियन टन की है, जबकि प्रोडक्शन 300 मिलियन टन का हो रहा है। तो रेस्ट ऑयरन ओर किन शर्तों पर कहां जा रहा है, इसके बारे में सरकार से जानकारी चाहता हूं्?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, it is correct that we require it for our own steel production. It is also correct that it is one of the important export items. But, if the hon. Member wants to ban export of iron ore, that is a policy matter and Question Hour is not meant for discussion on policy matters.

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, उड़ीसा में भी इललीगल माइनिंग हो रही है.....(व्यवधान)

श्री सभापति : पाणि जी, बैठ जाइए।.....(व्यवधान) पाणि जी, बैठ जाइए। प्लीज, पाणि जी, बैठ जाइए।.....(व्यवधान). You are violating the Rules of the House. आप बैठ जाइए।.....(व्यवधान) आई एम सॉरी। *(Interruptions)*

श्री रुद्रनारायण पाणि : #

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. I will have to invoke the Rule against the Member if you don't sit down. *(Interruptions)* Please sit down. *(Interruptions)* Please resume your place. *(Interruptions)* I would request the party whip. *(Interruptions)* Please bring me the Rule Book. I invoke Rule...*(Interruptions)*... Mr. Pany, will you please resume your place? This indiscipline is not permissible. Please resume your place. *(Interruptions)*

*271. [The questioner (Shri N. Balaganga) was absent. For answer *vide* page 45-46 *infra*.]

Misuse of funds under NREGS

*272. MS. SUSHILA TIRIYA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sizeable funds under the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) are being misused;

#Not recorded.

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether some of the officers have been punished for misusing the funds;

(d) if so, the details therefor; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI C.P. JOSHI): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) No, Sir. However, 242 complaints have been received in the Ministry regarding alleged misappropriation of NREGA funds. Such cases when brought to the notice of the Ministry are sent to the concerned State Governments for investigation of the matter and taking action in accordance with the provisions of the Act. In addition, National Level Monitors (NLMs) are also deputed to enquire into the specific complaints. As per the information available in this Ministry, FIRs have been lodged in 22 cases. State Governments have also taken disciplinary actions against the delinquent officials.

सुश्री सुशीला तिरिया : सर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रथम प्रश्न के उत्तर में "नो, सर" कहा है। लेकिन रिप्लाइ में मंत्री जी ने बोला है कि उनके पास मिसयूज करने से संबंधित 242 कंपलेंट्स हैं। सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं हो पाई कि यह मिसयूज है या कंपलेंट किया है, जबकि दोनों चीज अलग-अलग हैं। मंत्री जी, इसको क्लेरिफाइ करें? क्योंकि उनके पास 242 कंपलेंट्स होने के बाद भी there is no misuse of funds meant for energy. सर, क्या राज्य सरकारों के ऊपर सब कुछ निर्भर करके इंवेस्टिगेशन और मिसयूज ऑफ फंड्स के लिए राज्य सरकारों को कहा जाता है तथा राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता भी नियुक्त किए जाते हैं, ऐसा रिप्लाइ माननीय मंत्री जी ने दिया है। तो इस तरह से उड़ीसा के लिए राष्ट्रस्तरीय निगरानी कर्ता नियुक्त किया गया है या नहीं, यह मेरा प्रश्न है?

श्री सी0पी0 जोशी : सभापति महोदय, माननीया सदस्या ने पूछा कि साइजेबिल फंड्स के बारे में कितनी कंपलेंट्स हैं। हमें कुल 1010 कंपलेंट रिसीव हुई हैं। इनमें से 483 को डिस्पोज किया गया तथा 529 पैंडिंग हैं। जो कंपलेंट रजिस्टर है, उसमें 242 कंपलेंट में से 93 कंपलेंट डिस्पोज हुई हैं और उसमें 13 कंपलेंट्स ऐसी हैं, जहां पर 7.72 करोड़ का मामला embezzlement के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए माननीया सदस्या ने जो प्रश्न पूछा, उस संदर्भ में यह उत्तर दिया गया है। जहां तक NLMs अपोइंट करने का सवाल है, बेसिकली ऐक्ट के हिसाब से पहले ग्रिवेंसेज को स्टेट गवर्नमेंट को एड्रेस करना है। स्टेट गवर्नमेंट कानून के अन्तर्गत सारी कंपलेंट को एड्रेस करती है और जो कंपलेंट हमारे पास आती है और ग्रेव नेचर की होती है, उसके संबंध में हम NLMs अपोइंट करते हैं।

सुश्री सुशीला तिरिया : सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। उड़ीसा में आदिवासी और एस0सी0, एस0टी0 महिलाओं को NREGA अच्छी तरह से कवर करता है। सर, मैं यह जानना चाहूंगी कि जहां पर आदिवासी, * और महिलाएं काम करती हैं.....(व्यवधान)

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर,.....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठ जाइए, आपकी टर्न नहीं है। Please resume your place. *(Interruptions)*

#Not recorded.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, * शब्द अनपार्लियामेंट्री है।.....(व्यवधान)

श्री सभापति : अगर है तो वह रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।... **(व्यवधान)**

सुश्री सुशीला तिरिया : सर, मैं खुद दलित हूं, इसलिए एस0सी0, एस0टी0 बोल रही हूं।...(व्यवधान)

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : दलित होने से आपको इस तरह बोलने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है।.....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठ जाइए।

सुश्री सुशीला तिरिया : ठीक है, मैं संशोधन कर रही हूं। सांसद महोदय को अगर कुछ तकलीफ हुई है तो मैं खुद दलित हूं, इसलिए मैं इसमें संशोधन कर रही हूं, एस0सी0, एस0टी0 कह रही हूं। जहां पर महिला एस0सी0, एस0टी0 हैं, उधर जॉब कार्ड होल्डिंग बहुत ज्यादा संख्या में होता है। सर, उड़ीसा में जॉब कार्ड होल्डिंग्स की कितनी कम्पलेंट्स हैं, उनमें से कितनी डिसपॉज-ऑफ हुई हैं ? मुझे जानकारी है कि हिन्दुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ऑन-लाइन कम्पलेंट्स लॉज होने के बावजूद अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। मैं जानना चाहती हूं कि इन कम्पलेंट्स को डिसपॉज-ऑफ करने के लिए, इन पर डिसीजन लेने के लिए कितना समय चाहिए ? सर, जो 7000 अभी तक ऑन लाइन रिकार्ड में जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, उनको अभी तक काम नहीं दिया गया है, उनको अलाउंस देने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, उड़ीसा से 33 कम्पलेंट्स रिसीव हुई हैं, उनमें से 16 कम्पलेंट्स डिसपॉज-ऑफ हुई हैं और 17 कम्पलेंट्स बाकी हैं। जहां तक जॉब कार्ड का सम्बन्ध है, जॉब कार्ड का पंचायत लेवल पर जितने आदमी काम पर जाते हैं, डिमांड करते हैं, तो उतने आदमियों को काम मिलता है। हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसमें उड़ीसा की मात्र 33 कम्पलेंट्स रिसीव हुई थीं, उनमें से 16 हमने डिसपॉज की हैं और 17 की जानकारी स्टेट गवर्नमेंट से मांग रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Dr. K. Malaisamy. ...*(Interruptions)*... Dr. Malaisamy, please go ahead.

DR. K. MALAISAMY: Sir, I have seen from the reply that a number of complaints have been received, and they have been rightly referred to the State Governments which are the implementing agencies. Sir, when, in States, the persons involved in complaints are likely to be the ruling party men, will there be a free and fair inquiry and corrective measures? For that, what is your way out?

SHRI C.P. JOSHI: Sir, recently, we have given instructions to States and we have also given them a direction that they should have a concept of 'Ombudsman'. We are asking the State Governments to appoint Ombudsmen in every district of their States, and this process is continuing. In due course of time, we will review it and see to it that this takes place.

MR. CHAIRMAN: Shri Rajniti Prasad.

श्री राजनीति प्रसाद : सर, माननीय मंत्री जी ने जो क्वेश्चन का जवाब दिया है, तो टोटल negate कर दिया है और कहा है कि (a) से लेकर (e) तक इनका आन्स्वर "No" है। सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह

*Not recorded.

जानना चाहता हूं कि जब 242 कम्पलेंट्स इनको मिली हैं, तो (a) से लेकर (e) तक यह कहना कि कुछ भी नहीं है, आन्स्वर "No" है, तो उनमें पनिशमेंट देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आन्स्वर No है? मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि NREGA का कार्य बहुत पवित्र कार्य है और जिसके कारण आप लोग सरकार में आ गए। उसी का मामला इतना गंभीर है, तो क्या ऐसे राज्यों में जहां NREGA ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वहां पर कोई आब्जर्वर आप भेजने का काम करेंगे ? यही मेरा सवाल है और कोई सवाल नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, NREGA में एक साल का funds करीब Rs.40,000 crores है। माननीय सदस्य ने प्रश्न यह पूछा है कि sizeable fund का उपयोग नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि Rs.40,000 crores के प्रपोशनेट में 1010 कम्पलेंट्स हमें रिसीव हुई हैं। इन 1010 कम्पलेंट्स में 242 कम्पलेंट्स में से मात्र 13 कम्पलेंट्स ऐसी हैं, जहां पर amount 7.72 crores का है, इसलिए हमने पहले वाले उत्तर में No कहा है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि NREGA को ठीक ढंग से implement करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। सभापति महोदय, हर एक माननीय सदस्य district level Monitoring Committee का सदस्य है। हमने कहा है कि वह तीन महीने में मीटिंग करे, इसकी जानकारी ले और हमें सूचना दे। Ombudsman के संबंध में हमने राज्य सरकारों को निवेदन किया है। हमने MIS का सिस्टम प्लेस कर रखा है। ये सब प्रयास करने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट तुरन्त गति से काम करेगी और Ombudsman के माध्यम से यदि स्टेट गवर्नमेंट कम्पलेंट्स को ठीक ढंग से address नहीं कर पा रही है, तो Lokpal की नियुक्ति उस चीज़ को ठीक ढंग से address कर पाएगी और यह स्कीम ठीक ढंग से लागू हो पाएगी।

श्री राजीव शुक्ल : सभापति जी, जो हमारा सवाल था, वह भी इसी से संबंधित था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 40 per cent siphoning off की बात है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी शिकायतें ज्यादातर किन राज्यों से हैं? और जब राज्य सरकारें अपने स्तर पर monitoring नहीं कर पा रही हैं, तो क्या Central Monitoring Agency बनाने का विचार है, क्योंकि NREGA के मामले में सफलता बहुत जरूरी है ?

श्री सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की एक कम्पलेंट के संबंध में IBN में डिस्प्ले हुआ कि इस □□□□□□□□□□ के अंतर्गत बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। उस कम्पलेंट के बाद हमने मध्य प्रदेश की सरकार को इसकी जांच करने के लिए लिखा और CAG को भी लिखा कि वह इसकी जांच करें। हमने NLM में अपॉइंटमेंट करके पता लगाने का काम किया। We are addressing this problem. जो यह 30 से 40 परसेंट फंड को siphon करने की बात कर रहे हैं, यह सत्य नहीं है। हमने इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके CAG को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी सूचना ले रहे हैं और Obudsman के लागू करने के बाद, हम समझते हैं कि इस तरह की सूचना आ रही है, उसके बारे में जनता के सामने सही तथ्य सामने आ पाएंगे। जो जनरल कमेंट 30-40 फंड का जो करने का है, मैं समझता हूं कि यह स्थिति सही नहीं है।

Dividend remitted by Nationalised Banks

*273. SHRI T.K. RANGARAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) The total amount of dividend remitted to Government by the Nationalised Banks in the years 2007, 2008 and 2009;

(b) whether Government has allocated any funds to the Nationalised Banks during this period; and